



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 27, 2023 (SRAVANA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2023

संख्या 37/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 105/जीएसटी-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 105/जीएसटी-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में,—

- (A) प्रारंभिक पैराग्राफ में, "पैराग्राफ 4.41" वाक्यांश के स्थान पर, "पैराग्राफ 4.40" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (B) व्याख्या में, खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
- (क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय है, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 1/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा अधिसूचित और का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित "विदेश व्यापार नीति, 2023;"
- (ख) "हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय है, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2023, फा.सं. 01/75/171/00016/एम-23/एफटीपी सेल, प्रथम अप्रैल, 2023 द्वारा असाधारण, भाग I, खंड 1 में अधिसूचित "हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स;"।
2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

(2020)

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2023

No. 37/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 105/GST-2, dated the 31st December, 2018, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 105/GST-2, dated the 31st December, 2018,-

- (A) in the opening paragraph, for the phrase “paragraph 4.41”, the phrase “paragraph 4.40”, shall be substituted;
- (B) in the Explanation, for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely: —
 - (a) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No. 1/2023, dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 1565 (E) dated the 31st March, 2023;
 - (b) “Handbook of Procedures” means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 01/2023, dated the 1st April, 2023, Extraordinary, Part-I, section 1 *vide* F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell, dated the 1st April, 2023;
- 2. This notification shall come into force on the 27 July, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.